न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(26)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 947-पीबीआर/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-3-2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 111/98-99 निगरानी.

बाबूलाल पिता भागीरथ
निवासी ग्राम पिपल्दा
तहसील व जिला इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन
   कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, इन्दौर
2. रामचरण पिता भागीरथ
   निवासी ग्राम पिपल्दा
   तहसील व जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री हरीश सोलंकी, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित दिनांक 30-3-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/अ-6/91-92 में पारित आदेश दिनांक 10-6-92 में अनियमितताये पाये जाने पर कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/ स्वमेव निगरानी/98-99 दर्ज कर दिनांक 18-

5-99 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-3-2002 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त, के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) तहसीलदार द्वारा अनावेदक पक्ष की सहमति से संहिता की धारा 109, 190 के अधीन आदेश पारित किया गया था, जिसे कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त कर दिया गया है ।

(2) प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तहसीलदार के आदेश को कलेक्टर द्वारा लगभग 20 वर्ष लम्बी अवधि के पश्चात स्वमेव निगरानी में लिया जाकर बगैर कोई योग्य विचारण कर अपास्त कर दिया गया है । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि तहसील न्यायालय के आदेश को किसी भी पक्षकार द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई थी ।

(3) संहिता की धारा 190 के अधीन भूमिस्वामी स्वत्वों का स्वाभाविक रूप से अर्जन होता है । उक्त तथ्य की घोर उपेक्षा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चत लिया गया है, जो कि सर्वथा अनुपयुक्त है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाईड लाईन निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार स्वमेव निगरानी की कार्यवाही युक्तियुक्त समय में ही प्रयुक्त की जा सकती है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त समय को एक वर्ष माना है ।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1297, ए.आई.आर. 1990 एम.पी. 268, 1990 एम.पी.एल.जे. 353, 1990 आर.एन. 77 (फुल बैंच), 2000 आर.एन. 161, 2001 आर.एन. 402, 2001(3) एम.पी.एल.जे. 389, 1994 एम.पी.एल.जे. 378 एवं 1999(1) एम.पी.एल.जे. 178 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में अनेक अनियमिततायें की गई थी, अत: कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को सूचना दी जाकर आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर के आदेश को विधिसम्मत मानते हुए अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त होना सिद्ध नहीं किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के आवेदक को मौरूसी कृषक मानते हुए आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जबकि बिना स्वत्व प्राप्त किये नामान्तरण की कार्यवाही वर्जित है । अत: तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत करने में अधिकारिता विहीन आदेश पारित किया गया है । इस सम्बन्ध में 1991 आर.एन. 114 सांवल तथा अन्य विरूद्ध लक्ष्मीबाई तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> " धारा 169, 190 तथा 257 (ण)- अधिकारिता- मौरूसी कृषक की प्रास्थिति का प्रश्न- संहिता के अधीन मौरूसी कृषक की प्रास्थिति अवधारण हेतु किसी राजस्व अधिकारी को सशक्त करने वाला कोई उपबंध नहीं है- सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित नहीं- धारा 190 केवल तभी प्रवर्तित हो सकती है जब भूमिस्वामी अधिकार अर्जित होने का दावा करने वाला व्यक्ति स्वीकारत: मौरूसी कृषक हो ।"

जहां तक स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही विलम्ब से किये जाने का प्रश्न है । चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अधिकारिता विहीन आदेश पारित किया गया है । अत: ऐसे अवैध, यकृत एवं शून्य आदेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है । ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदक द्वारा मुद्रांक शुल्क से बचने के उद्देश्य से अनावेदक क्रमांक 2 से दुरभिसंधि कर, तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण की प्रक्रिया एवं प्रावधानों का बिना पालन किये अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण स्वीकृत

करने में जहां विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, वहीं शासन को भी राजस्व की हानि हुई है । उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर आयुक्त द्वारा भी न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में आदेश पारित कर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किये गये हैं, जो कि विधिसंगत हैं । इस सम्बन्ध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होकर निरस्त रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2002 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर